

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266730
SG-DL-E-07102025-266730असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/ आश्विन 8, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 261
No. 297]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 261

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त(व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 30 सितम्बर, 2025

सं. 17/2023-राज्य कर (दर)

फा0सं0 3(32)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/971.-दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) तथा धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्वारा दिनांक 30 जून 2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/382 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना सं0 01/2017- राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

(क) अनुसूची I में -2-5% .

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मेलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"96क.	1901	अन्न के आटे का खाद्य निर्माण, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हों";

(ख) अनुसूची III में — 9%,

(i) क्रम संख्या 13 के सामने, कॉलम (3) में, "शीर्षक 1905" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्षक 1905; अन्न के आटे का खाद्य निर्माण, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हों" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 1012	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV — 14% में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

टीप : मूल अधिसूचना सं० 01/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को फा० सं० 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV, धारा 3, उप-धारा (प) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023 — राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित की गई थी जो दिनांक 30 जून, 2025 को फा० सं० 3(12)/वित्त (व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/596 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2025

No. 17/2023-State Tax (Rate)

No. F.3 (32)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/971.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 01/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“92A.	1703	Molasses”;

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)	(3)
“96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled”;

(B) in Schedule III – 9%,

(i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures “of heading 1905”, the words and figures “of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled ” shall be substituted;

(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use”;

(C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note: -The principal notification number 01/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification number 11/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (12)/Fin(Exp-I)/2025-26/DS-I/596, dated 30th June, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy. (Fin.)